पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. –9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 327/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 21.10.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 21.10.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

01. थाना – कन्धरापुर: धर्मान्तरण कराने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व घटना का संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि वादी हरिबंश मिश्रा पुत्र श्री दयाशंकर मिश्रा ग्राम वस्ती उगरपट्टी थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ आजमगढ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 20.10.2024 समय 11.00 बजे ग्राम मिरिया रेड़हा (नौउवन का पुरा) में राजाराम यादव पुत्र हंसराज यादव निवासी मिरिया रेडहा (नौउवन का टोला) थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ द्वारा गांव के लोगो को एकत्रित कर धन का प्रलोभन देते हुए दुसरे धर्म को अपनाने के लिये प्रेरित किया गया, विशेष धर्म को अपमानित करते हुए दुसरे का गुण गान करते हुए पूजन किया गया है, के सम्बन्ध में मु0अ0स0 300/2024 धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 बनाम 1.राजाराम यादव पुत्र अज्ञात 2. कुछ व्यक्ति अज्ञात के विरूद्ध थाना स्थानीय पर दिनांक 20.10.2024 को पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 21.10.2024 को उ0नि0 जयप्रकाश मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अभियुक्त राजाराम यादव पुत्र हंसराज यादव निवासी मिरिया रेडहा (नौउवन का टोला) थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ को अभियुक्त के अपने गौशाला के दक्षिण कमरे में कुछ महिलाओ को इकट्ठा कर ईसाई धर्म अपनाने हेतु प्रेरित कर रहा है, जिसे समय करीब 10.20 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 300/2024 धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 2021 थाना कन्धरापुर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

1-राजाराम यादव पुत्र हंसराज यादव निवासी मिरिया रेडहा (नौउवन का टोला) थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ उम्र 26 वर्ष।

बरामदगी- 13 पुस्तक।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 रुद्रभान पाण्डेय , उ0नि0 जयप्रकाश, का0 आकाश गोड़, का0 विजय यादव थाना कन्धरापुर आजमगढ़।

02. थाना – अहरौला: पिकअप द्वारा पुलिस कर्मियों को घायल व फायरिंग करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार; घटना में प्रयुक्त 01 पिकअप वाहन, अवैध असलहा व कारतूस बरामद ।

घटना का पूर्व का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 18/10/2024 को वादी मुकदमा का0 सौरभ राय थाना अहरौला जनपद आजमगढ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 17.10.2024 को समय लगभग 20.30 बजे प्राइवेट मोटरसाकिल नम्बर UP63AR9631 से हल्का नम्बर 01 मे देखभाल क्षेत्र व शान्ति व्यवस्था मेला ड्यूटी शाहपुर संपन्न कराकर थाना वापस आते समय मेहियापर व रेडहा के बीच प्रतिवादीगणों द्वारा जान मारने की नियत से एक राय होकर पिकप वाहन संख्या UP50ET4324 को चढा दिया गया व वादी मुकदमा व का0 परिक्षित दुबे के उपर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी । पीआरवी 5015 के कर्म0गण का0 पंकज यादव व हो0गा0 राम प्रवेश प्रजापति को भी जान से मारने की नियत से पिकप को प्रतिवादीगणो द्वारा चढा देना तथा गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी दी गयी व पीआरवी क्षतिग्रस्त हो गयी, के सम्बन्ध में थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 445/2024 धारा-109/115(2)/121(1)/132/324(4)/352/351(2)/3(5) बीएनएस बनाम 1.इरसाद पुत्र इरफान निवासी ग्राम सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 2. नफीस पुत्र मंजूर निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ व पिकप पर मौजूद 7-8 व्यक्ति नाम पता अज्ञात उ0नि0 रंजन कुमार साव के पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 20.10.2024 को थानाध्यक्ष मनीष पाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 1.सुन्दरम मौर्या पुत्र श्रीप्रकाश मौर्या निवासी रसूलपुर जोखू अम्बारी थाना फुलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष, 2.अर्जुन कुमार गौतम पुत्र सुरेन्द्र गौतम निवासी रम्मोपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ उम्र करीब 20 वर्ष, 3.डब्लू उर्फ शैलेश यादव पुत्र सत्यदेव यादव निवासी हाजीपुर थाना फुलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष, 4.वीरप्पन राजपूत चौहान पुत्र त्रिलोकी चौहान निवासी बेलसिया अम्बारी थाना फुलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को घटना में प्रयुक्त 01 पिकप वाहन संख्या UP50ET4324, एक अवैध तमंचा देशी .315 बोर व एक जिंदा कारतूस .315 बोर व एक चाकू नाजायज व 03 मोबाइल व 800 रुपया के साथ बरामदपुर पुलिया से समय 22.20 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

➡अभियुक्त अर्जुन कुमार गौतम उपरोक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा देशी .315 बोर व एक जिंदा कारतूस .315 बोर तथा अभियुक्त सुन्दरम मौर्या उपरोक्त के कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया है।

➡गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अहरौला पर अभियुक्त अर्जुन कुमार गौतम उपरोक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 449/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व अभियुक्त सुन्दरम मौर्या के विरूद्ध मु0अ0सं0 450/24 धारा धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 445/2024 धारा 109/115(2)/121(1)/132/324(4)/352/351(2)/3(5) बीएनएस थाना अहरौला आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 449/24 धारा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ बनाम अभियुक्त अर्जुन कुमार गौतम उपरोक्त

2. मु0अ0सं0 450/24 धारा धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ बनाम अभियुक्त सुन्दरम मौर्या उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.सुन्दरम मौर्या पुत्र श्रीप्रकाश मौर्या निवासी रसूलपुर जोखू अम्बारी थाना फुलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष

2.अर्जुन कुमार गौतम पुत्र सुरेन्द्र गौतम निवासी रम्मोपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ उम्र करीब 20 वर्ष

3.डब्लू उर्फ शैलेश यादव पुत्र सत्यदेव यादव निवासी हाजीपुर थाना फुलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष

4.वीरप्पन राजपूत चौहान पुत्र त्रिलोकी चौहान निवासी बेलसिया अम्बारी थाना फुलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष

बरामदगी –

1-01 पिकप वाहन संख्या UP50ET4324

2-एक अवैध तमंचा देशी .315 बोर व एक जिंदा कारतूस .315 बोर व एक चाकू नाजायज

3-03 मोबाइल व 800 रुपया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थानाध्यक्ष मनीष पाल, का0 लालजी यादव, का0 अश्वनी कुमार, का0 पुष्पेन्द्र सिंह, का0 उमेश गौंड व म0का0 बंदना सिंह मय सरकारी बोलेरो नं0 यूपी 70 एजी 1294 चालक हे0का0 राजेश यादव व द्वितीय मोबाइल के उ0नि0 श्री विजयी, का0 प्रवीण कुमार, का0 शशिभूषण, म0का0 अनामिका कुशवाहा व चौकी प्रभारी उ0नि0 श्री सुधीर कुमार सिंह, उ0नि0 श्री रंजन कुमार साव, का0 वरुण कुमार, का0पंकज कुमार तथा का0 अंचल सिंह थाना अहरौला आजमगढ़ ।

<u>प्रेस-विज्ञप्ति, पुलिस स्मृति दिवस</u>

अपने कर्तव्य के पथ पर चलते हुए देश, प्रदेश एवं समाज की सुरक्षा में अपने प्राण तक को न्यौछावर करने वाले उन अमर शहीदों की याद में प्रति वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया जाता है. इस अवसर पर आज दिनांक 21.10.2024 को जनपद आजमगढ के पुलिस लाईन में स्मृति स्थल पर सुबह 08.00 बजे पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया गया।

इस गौरवमयी अवसर पर पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ परिक्षेत्र आजमगढ श्री वैभव कृष्ण ने सर्वप्रथम शहीद पुस्तिका पढ़कर वीर शहीद पुलिसकर्मियों को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजली अर्पित की।

यह स्मृति दिवस हर साल उन शहीदों के याद में मनाया जाता है ,जो अपने कर्तव्य पथ पर शहीद हो जाते है। पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री हेमराज मीना द्वारा कर्तव्य पथ पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई,

इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री शैलेंद्र लाल,अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री चिराग जैन,अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी तथा क्षेत्राधिकारी सदर/लाईन श्री अनंत चन्द्रशेखर, क्षेत्राधिकारी नगर श्री गौरव शर्मा, सहित समस्त क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी के साथ-साथ अन्य अधिकारी व कर्मचारीगणों ने शहीद हुए पुलिसजनों को श्रद्धांजली अर्पित की।

आजमगढ़